न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2732–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2014 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल प्र0क्र0 5/अ–12/13–14

1 जितेन्द्र कुमार डागा
2 विजय कुमार डागा
3 सूर्य कुमार डागा
तीनों आत्मज स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी डागा
निवासी क्रमांक 1 डागा हाउस, एयरपोर्ट के सामने
सी0 टी0 ओ0 बैरागढ भोपाल
एवं क्रमांक 2 एवं 3–26 मारवाडी रोड भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमति राधारानी अग्रवाल
पत्नी श्री वल्लभ जी अग्रवाल
निवासी मं0नं0 81 लक्ष्मी गली,
गोयल धर्मशाला के पीछे, चौक बाजार
भोपाल

.....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संदीप महेश्वरी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 फरवरी, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा कलेक्टर के समक्ष उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम बाबडियाकला स्थित सर्वे क्रमांक 418 एवं 420 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा एस0एल0आर0 को सीमाकंन के निर्देश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमाकंन दल गठित किया गया । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा आदेशिका दिनांक 7–6–2014 में उल्लेख किया गया कि आदेशानुसार अनावेदिका की भूमि का सीमाकंन किया जाकर प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, जिस पर दिनांक 7–6–2014 को अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा रिपोर्ट साईन्ड लिखा जाकर हस्ताक्षर कर आदेश पारित किया गया है । अधीक्षक भू–अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमाकंन की समस्त कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर सम्पन्न की गई है, यहां तक कि मौके पर सीमाकंन पंचनामा भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि सीमाकंन प्रकरण में सीमाकंन पंचनामा संलग्न नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि सीमाकंन की समस्त कार्यवाही मौके पर नहीं की गई है और सीमाकंन टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किया जाना बताया गया है, जबकि मौके पर टोटल स्टेशन मशीन से सीमाकंन हुआ ही नहीं है, अतः सीमाकंन अवैध होने से निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार कि सीमाकंन कार्यवाही कलेक्टर के आदेश से किया गया है, परन्तु कलेक्टर का कोई आदेश सीमाकंन प्रकरण में संलग्न नहीं है, असत्य है, क्योंकि कलेक्टर के समक्ष अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख को सीमाकंन किये जाने के आदेश दिये गये है, जो कि प्रकरण में संलग्न है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण जिस भूमि को अपनी बता रहा है उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है और वे तहसील न्यायालय में अनावेदिका की अवैध आधिपत्य में निकाली भूमि स्वंय की होना प्रमाणित कर सकते है ।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि सीमाकंन में यह नहीं बताया गया है कि किस भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण में स्थल पंचनामा संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मौके पर सीमाकंन किस दिनांक को किन–किन व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया है । सीमाकंन प्रकरण में निरीक्षण दल का कोई प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं है । आदेशिका में केवल यह उल्लेख है कि आदेशानुसार अनावेदिका की भूमि का सीमाकंन किया गया सीमांकन प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सीमाकंन दल द्वारा विधिवत अनावेदिका की भूमि का सीमाकंन नहीं किया गया है । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा कलेक्टर को जो पत्र कमांक क्यू/भू0अभि0/सीमाकंन/2014 दिनांक 7–6–2014 प्रस्तुत किया गया है, उसमें अनावेदिका की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा होना दर्शाया गया है, परन्तु आवेदकगण की उपस्थिति में सीमाकंन किया जाना सीमाकंन प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप आवेदकगण की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमाकंन किया जाना चाहिये था । सीमाकंन प्रकरण की आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा रिपोर्ट साईन कर हस्ताक्षर किये गये है, स्पष्टतः सीमाकंन आदेश पारित नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अधीक्षक–भू–अभिलेख द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 7–6–2014 निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक भू–अभिलेख, भोपाल द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 7–6–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीक्षक भू–अभिलेख को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में विधिवत अनावेदिका की भूमि का सीमाकंन किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर